तदर्थ आवंटन पत्र
(स्पीड पोस्ट द्वारा)

सेवा में, दिनांक–......................

....,

....,

मो0नं0–...

विषय :- परियोजना EWS, Gokuldham under PMAY स्थित Khasra No. 1503, 1504, 1506 and 1507, Magarwara, Unnao, PIN-209862, में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संपत्ति के तदर्थ आवंटन के संबंध में।

महोदय,

Treadstone Limited द्वारा परियोजना EWS, Gokuldham under PMAY स्थित Khasra No. 1503, 1504, 1506 and 1507, Magarwara, Unnao, PIN-209862, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना की नीति के अंतर्गत विकसित की जा रही है। इस संबंध में आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रेषित आवेदन संख्या ....दिनांकित–.................... के क्रम में आपको अवगत कराना है कि, शासन द्वारा जारी नीति के अंतर्गत नियुक्त प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उक्त परियोजना में निर्मित फ्लैटस् का आवंटन लॉटरी ड्रॉ द्वारा दिनांक .... को करते हुए सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता कम्पनी को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराई गई है कि उक्त सफल आवेदकों को परियोजना में आवंटित संपत्ति के सापेक्ष तदर्थ आवंटन पत्र जारी किए जाऐं।

आपको निम्न विवरण के अनुसार परियोजना EWS, Gokuldham under PMAY में फ्लैट संख्या .... टॉवर/ब्लॉक संख्या .... तल संख्या .... जिसका कार्पेट क्षेत्रफल .... वर्ग मीटर है, आवंटित किया गया है, उक्त फ्लैट के सापेक्ष आपकी देयता निम्न प्रकार है :-

1. आवंटित फ्लैट का मूल्य .... रू.
2. आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि .... रू.
3. बकाया देय धनराशि .... रू.

उपरोक्त देय धनराशि तीन माह की समान किश्तों में निम्नानुसार देय होगी :-

किश्त संख्या	**किश्त की तिथि**	**किश्त भुगतान हेतु अंतिम तिथि**	**देय धनराशि**
1			
2			
3			
4			
5			
6			

आपसे निवेदन है कि, उपरोक्त देय धनराशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जोकि कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के पक्ष में देय हो, हमारे कार्यालय स्थित 52/3,4,5 Block-T, Factory Area, Fazalganj, Kanpur, Uttar Pradesh, PIN-208012 में, उपरोक्त विवरण अनुसार समय से जमा कराना सुनिश्चित करें।

नियम व शर्तें

1. उपरोक्त संपत्ति का आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर विकसित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए जारी शासनादेश संख्या–1132/आठ–1–18–106 विविध/2018 दिनांकित–12.07.2018/शासनादेश संख्या – 21/2020/531/आठ–1–20–106 विविध/2018, दिनांकित–18.03.2020 तथा तदोपरांत किए गए संशोधनों के आधीन किया गया है। आवंटी द्वारा उक्त नीति का उल्लंघन यदि किसी भी स्तर पर पाया गया तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

2. आवंटित संपत्ति के सापेक्ष जमा की जाने वाली उपरोक्त किश्तें, प्रत्येक किश्त के भुगतान की अंतिम तिथि तक उपरोक्तानुसार, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा की जा सकती है।

3. समय से किश्त जमा ना किए जाने पर उक्त किश्तों पर .... प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त धनराशि ब्याज के रूप में देय होगी।

4. नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि अतिरिक्त देय होगी।

5. अनुबंध अभिलेख के निष्पादन से पूर्व संपत्ति के मूल्य की एक प्रतिशत धनराशि अनुरक्षण फण्ड के रूप में तथा एक प्रतिशत कारपस फण्ड के रूप में आवंटी द्वारा देय होगी।

6. यदि आवंटी द्वारा आवंटित संपत्ति का समर्पण, आवंटन धनराशि जमा कराने के पूर्व किया जाता है, तो उस स्थिति में संपूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

7. यदि आवंटी द्वारा भुगतान विवरण के अनुसार लगातार दो किश्तें अदा नहीं की जाती हैं तो संपत्ति का आवंटन निरस्त करते हुए, आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि कटौती कर अवशेष समस्त जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिसके लिए आवंटी स्वंय उत्तरदायी होगा।

8. उक्त संपत्ति के निर्माण के उपरान्त आवंटी के पक्ष में औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए पंजीकृत अनुबन्ध (त्रिपक्षीय) निष्पादित कराते हुए कब्जा दिया जाएगा। कब्जे की तिथि से 5 वर्ष तक उक्त संपत्ति का उपयोग आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही संपत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित किया जाएगा। यदि 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त संपत्ति का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुए उक्त संपत्ति सम्बन्धित प्राधिकरण में निहित हो जाएगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।

9. आवंटी को संपत्ति के पंजीकृत अनुबन्ध (त्रिपक्षीय) के निष्पदान के पश्चात भवन का कब्जा पत्र सक्षम प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्थल पर भवन का कब्जा भी आवंटी के स्वंय उपस्थित होन पर ही दिया जाएगा।

10. आवंटी को बिजली व पानी का कनेक्शन स्वंय अपने व्यय पर कराना होगा तथा उक्त के समायोजन एवं बिल आदि का भुगतान आवंटी द्वारा स्वंय, संबंधित विभाग को किया जाएगा। यदि उक्त संपत्ति पर किसी प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई कर आदि आरोपित किया जाता है, तो उसको भुगतान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवंटी का होगा।

11. आवंटी को कब्जा पत्र प्राप्त करने के एक माह के अन्दर भवन का कब्जा प्राप्त करना होगा अन्यथा नियमानुसार ....रू. प्रतिमाह की दर से कब्जा लिए जाने की तिथि तक चौकीदारी शुल्क देय होगा।

12. यह तदर्थ आवंटन पत्र इस आधार पर निर्गत किया गया है कि –

- **a.** आवंटी या उसके परिवार के नाम भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है।
- **b.** आवंटी द्वारा, सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य आवासीय योजना में लाभ नहीं लिया गया है।
- **c.** आवंटी द्वारा कभी भी भवन को विक्रय/पट्टा/हस्तांतरण/किराये पर नहीं दिया जाएगा।

13. यह तदर्थ आवंटन पत्र आवंटी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर नगर (डूडा)/निदेशक सूडा द्वारा किये गये सत्यापन के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आपके द्वारा गलत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनायें प्रस्तुत की गई थी अथवा डूडा/सूडा द्वारा अपकी पात्रता के सम्बन्ध में प्रतिकूल निर्णय लिये जाने की स्थिति में यह आवंटन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा एवं आवंटन धनराशि जब्त कर ली जाएगी। यह गलत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र/सूचना देना आपराधिक कृत्य में आयेगा तथा ऐसा पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जायेगी।

14. आवंटन की अन्य नियम व शर्तें प्रधानमंत्री आवास योजना के सापेक्ष उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उपरोक्त शासनादेश एवं समय–समय पर जारी किए अन्य शासनादेशों तथा पंजीकरण विवरण पुस्तिका के अनुसार अनुमन्य होंगी।

15. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

सधन्यवाद।

भवदीय

Treadstone Limited
(अधिकृत हस्ताक्षरी)